



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 7, 2017/ पौष 17, 1938

No. 03]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 7, 2017/PAUSA 17, 1938

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2017

सं. आरएस.1/1/2017-एल.—राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 6 जनवरी, 2017 को दिया गया निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्वारा राज्य सभा को मंगलवार, 31 जनवरी, 2017 को मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिए आमंत्रित करता हूं।

6 जनवरी, 2017

ह/-

राष्ट्रपति"

डी. बी. सिंह, सचिव

**RAJYA SABHA SECRETARIAT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th January, 2017

**No. RS 1/1/2017-L.**—The following Order by the President dated the 6th January, 2017, is published for general information :-

“In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at New Delhi on Tuesday, the 31<sup>st</sup> January, 2017 at 11.00 A.M.

January 6, 2017

Sd/-  
PRESIDENT"

\_\_\_\_\_

D. B. SINGH, Secy.